न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / 12 / 2016

1–साहब सिंह उर्फ शोभासिंह पुत्र किशन
2–लाखन सिह
3–रतनसिह
4–नरेश
5–करन सिह
6–वीर सिह
पिसरान देवी सिंह
जाति गोला ठाकुर निवासी गोलपुरा तहसील व जिला भरतपुर
7–बुद्वो पत्नी स्व. देवी सिह
8–मुन्नीदेवी पत्नि स्व.दामोदर
9–मनोज उम्र 10 साल । पुत्रान स्व. दामोदर नावालिग व वली सरपरस्त
10–हेमराज उम्र 8साल । माता मुन्नीदेवी पत्नी स्व. दामोदर

....अपीलान्टान

बनाम

हरभेजी पत्नी नवावसिह जाति गोला ठाकुर निवासी गोलपुरा तहसील व जिला भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरुद्व आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 29.1.2016 बाबत नामान्तकरण संख्या 2649 बाके ग्रांम गोलपुरा तहसील भरतपुर ।

सत्यमेव–जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितः–
1–श्री दिनेश शर्मा अभिभाषक अपीलान्टान
2–श्री विजय सिह अभिभाषक रेस्पो.

आदेश दिनांक 15.03.2018

अपीलान्टान ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ आदेश 29–1–2016 बाबत नामान्तकरण संख्या 2649 बाके ग्रांम गोलपुरा तहसील भरतपुर के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में नामान्तकरण संख्या 2649 रेस्पो. के हक में दर्ज कर दिनांक 29.1.2016 को स्वीकार किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी की गई। उभय पक्ष की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये। योग्य अभिभाषक उभय पक्षक की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार भरतपुर ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना मौके के जॉच किये पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ होने से काबिल खारिज के है। उनका कहना है कि पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी को लेकर राजस्व अपील

प्राधिकारी भरतपुर के निणर्य के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील की की गई थी,जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने स्थगन आदेश दिनांक 7.4.2004 में राजस्व अभिलेख की वर्तमान स्थिति मण्डल के अन्य आदेश तक यथावत कायम रखी जाने का स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। जिसकी जानकारी तहसीलदार भरतपुर को थी। उनका कहना है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के स्थगन आदेश के होते हुये तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण स्वीकार करने की जो आज्ञा पारित की गई है वह विधि सम्मत नहीं है। पटवारी हल्का ने स्टे नहीं होने की जो रिपोर्ट की वह रेस्पो. से मिली भगत से की गई है। स्थगन आदेश के होते हुये तहत न्यायालय ने जो कार्यवाही की है वह नियमों के विपरीत है। जो खारिज योग्य है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी 22.6.2016 को हुई जब अपीलान्ट खेत जुतवाने गया, तब रेस्पो. ने कह दिया कि जमीन हमारे नाम है तेरा कुछ नहीं है। तब अपीलान्ट ने जानकारी कर अपीलाधीन आदेश की नकल लेने के उपरान्त अपील अन्दर म्याद पेश की गई है, देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों के समर्थन में आरआरडी 1989 पेज 771(1), आरआरडी 2001 पेज 53, आरबीजे 2004 पेज 286 (एससी डीबी), आरबीजे 1997 पेज 182 व 257 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया तथा उक्त दोनों अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपने तर्को में जाहिर किया कि नामान्तकरण संख्या 2649 गैर खातेदारी से खातेदार का आदेश व डिक्री की पालना में खोला गया है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि राजस्व मण्डल का कोई स्टे पटवारी के पास नहीं था, पटवारी ने नामान्तकरण में स्टे नहीं होने की रिपोर्ट अंकित की है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है अपीलान्ट को स्टे की पालना रिपोर्ट देनी थी, बिना पालना रिपोर्ट के स्टे नही माना जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि इस स्टेज पर नामान्तकरण निरस्त करने की जरुरत नहीं है, आर.ए.ए. के विचाराधीन अपील में अगर डिक्री निरस्त होती है तो धारा 144 जा.दी. के तहत नामान्तकरण को निरस्त किया जा सकता है। उनका तर्क है कि डिक्री आज भी अस्तित्व में है इसलिये नामान्तकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है।
विवादित आराजी पर प्रार्थीया द्वारा फसल बोई व काटी जाती रही है। इस
नामान्तकरण से अपीलान्ट का कोई सरोकार नहीं है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि अपील म्याद बाहर पेश की गई है, अपीलान्ट ने देरी को माफ करने के लिये कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया है। तहत न्यायालय द्वारा विधिवत आदेश पारित किया गया है। अपील खारिज की जावें। योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2004 पेज 31, आर.आर.डी. 1992 205, एवं आरआरटी 2017 पेज 252 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरणों का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों एवं उनके द्वारा प्रस्तुत रुलिंग का अध्ययन किया गया। प्रथमतः म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 मय

शपथ पत्र पेश किया गया है। आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में प्रतिपादित किया है कि :–

> **Limitation Act, 1963, S.5 - Dismissal of appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case - Legality of-Held, now it msut be taken as well settled Principal of law that before rejecting applications u/s 5, and dismissing appeals as time-barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeal and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits. (Para 19)**

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों को मध्यनजर रखते हुये अपील को अन्दर म्याद मानते हुये। अपील की मैरिट पर विचार किया गया। आदेश अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 2649 तहसीलदार भरतपुर ने दिनांक 29.1.2016 को स्वीकार किया गया है।

प्रकरण में मुख्य रुप से यह बिन्दू तैय किया जाना है कि :–

1– आया अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.1.2016 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर स्थगन आदेश था ?

2– क्या तहत न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के स्थगन आदेश के होते हुये अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 2649 दिनांक 29.1.2016 स्वीकार किया गया है?

पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति नकुलात से स्पष्ट है कि विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 18.3.2004

Web Copy - Not Official

के खिलाफ अपीलान्टस ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील दायर की गई जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 7–4–2004 को आज्ञा पारित की है कि :–

> ''.....न्यायहित में आदेश दिये जाते हैं कि मामले में राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 18.3.04 के अन्तर्गत विवादित आराजी के मौके एवं राजस्व अभिलेख की वर्तमान स्थिति मंडल के अन्य आदेश तक यथावत कायम रखी जावे तदनुसार अहकाम सबंधित न्यायलयों को पालनार्थ जारी हो..... ।''

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने उक्त स्टे प्रकरण अपील/डिक्री/टीए/1393 / 2004 भरतपुर उनवानी श्रीमति रम्मो देवी वगे. बनाम ठाकुरदास वगे. में निर्णय दिनांक 3.8.2017 को अपील स्वीकार करते हुये माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में विचाराधीन अपील के निस्तारण होने तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाई रखी जाने की आज्ञा पारित की गई है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि दिनांक 7.4.2004 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है तथा माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 3.8.2017 में उभय पक्षकारान को सुन कर पूर्व में जारी स्टे की अपील को स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.3.04 को निरस्त कर आर.आर.ए भरतपुर में विचाराधीन अपील के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पक्षकारान को पाबन्द किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में पक्षकारान के मध्य आज भी विवादित आराजी को लेकर अपील विचाराधीन है। योग्य अभिभाषक रेस्पो का यह कथन कि अपीलान्ट ने राजस्व मण्डल अजमेर के स्टे की पालना रिपोर्ट पेश नहीं की है इसलिये से स्टे नहीं माना जा सकता है, अभिभाषक रेस्पो का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं रहता है, क्यों कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का स्टे दिनांक 7.4.2004 को जारी किया था जिसे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 3.8.2017 से राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के यहॉ विचाराधीन अपील के निर्णय तक विवादित आराजी की राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखने हेतु पक्षकारान को पाबन्द किया गया है। योग्य अभिभाषक ने धारा 144 जा0दी0 के बारे जो तर्क दिया है वह यहॉ चस्पा नहीं होता है। क्यों विचाराधीन प्रकरण में न्यायालय हाजा को यह देखना है कि क्या तहत न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है अथवा नहीं। यहॉ स्पष्ट है कि तहत न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के स्थगन आदेश 7.4.2004 प्रभाव में रहते हुये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो न्याय के के विपरीत एवं विधि विरुद्व होने के कारण उचित नहीं रहता है। उक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय में पक्षकारान के मध्य अपील विचाराधीन है और माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के स्थगन आदेश 7.4.2004 एवं दिनांक 3–8–2017 के प्रभाव में रहते हुये तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 2649 दिनांक 29.1.2016 को हम समर्थन योग्य नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 2649 दिनांक 29.1.2016 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के यहॉ विचाराधीन अपील के निर्णय उपरान्त निर्णानुसार कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2018 को सुनाया गया।

{ डॉ.एन.के.गुप्ता }
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official